क्रम-सं०—70

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी०/एल०—
डब्लू०/एन०पी०—91/2011—13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 04 मार्च, 2014
फाल्गुन 13, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग—1

संख्या 333/79-वि-1--14-1(क) 5-2014
लखनऊ, 04 मार्च, 2014

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2014 पर दिनांक 04 मार्च, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2014) के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2014

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2014)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1995 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2014 संक्षिप्त नाम कहा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1995 की धारा 7 की संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 7 में, उपधारा (1) में, परन्तुक निकाल दिया जायेगा।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1995 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, सन् 1995) अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 7 उक्त परिषद् के अध्यक्ष और नाम–निर्दिष्ट सदस्यों की सेवा के निबन्धनों एवं शर्तों के सम्बन्ध में है। उक्त धारा की उपधारा (1) के परन्तुक में यह व्यवस्था दी गई है कि यदि व्यक्ति ने 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तो वह परिषद् के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। अतएव यह विनिश्चय किया गया है कि सक्षम एवं प्रख्यात शिक्षाविद् की सेवाएं दीर्घ काल तक प्राप्त करने की दृष्टि से उक्त परन्तुक को निकालने के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2014 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
एस० बी० सिंह,
प्रमुख सचिव।